

पत्रांक-श्रम क० सं०-15/2018-५६१

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) एवं 05 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 150000/- (एक लाख पचास हजार रूपए) अर्थात् कुल ₹ 250000/- (दो लाख पचास हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

| क्र. सं. | मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, कोटि                  | आश्रित का नाम (संबंध)         | जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक | पता   | आश्रित का बैंक खाता संख्या | बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी      | स्वीकृत अनुदान की राशि       | मृत्यु/ निःशक्तता का खौरा, कार्य की प्रकृति     |
|----------|--|-------------------------------|---|---|----------------------------|--|------------------------------|---|
| 1        | 2  | 3                             | 4   | 5   | 6                          | 7                                      | 8                            | 9   |
| 1        | स्व० बगबम तमोली, स्व० डोमन तमोली, अ० पि० वर्ग    | श्रीमती प्रमिला देवी (पत्नी)  | 313/5.9.18                                | ग्रा०+पो०-बेलौरी, प्र०+था०+जि०-लखीसराय                                    | 46471011<br>0006896        | Bank of India, Lakhisarai, BKID0004647 | ₹ 30000/-<br>(तीस हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, कृषि व्यवसाय में कामगार मजदूर |
| 2        | स्व० अशोक शर्मा, श्री रामसुरत शर्मा, अ० पि० वर्ग | श्रीमती नीलम देवी (पत्नी)     | 331/14.09.2018                            | ग्रा०-सिवाना माणिकपुर, पो०-कवादपुर, प्र०-सूर्यगढ़ा, था०-माणिकपुर, लखीसराय | 31200110<br>048277         | BGB Manikpur, UCBAORRBBKG              | ₹ 100000/-<br>(एक लाख रूपए)  | दुर्घटना मृत्यु, कृषि व्यवसाय में कामगार मजदूर  |
| 3        | स्व० वीरो मांझी, श्री मंगल मांझी, अनु० जन जाति   | श्रीमती बुन्दिया देवी (पत्नी) | 332/14.09.2018                            | ग्रा०+पो०-गेरूआ पुरसंडा, था०-हलसी, लखीसराय                                | 31130110<br>006767         | BGB, Halsi, UCBAORRBBKG                | ₹ 30000/-<br>(तीस हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, कृषि व्यवसाय में कामगार मजदूर |
| 4        | स्व० रामधनी भुइया, श्री योगा भुइया, अनु० जाति    | श्रीमती कलावती देवी (पत्नी)   | 333/14.09.2018                            | ग्रा०+पो०-गेरूआ पुरसंडा, था०-हलसी, लखीसराय                                | 30880105<br>621            | SBI, Halsi, SBIN0004574                | ₹ 30000/-<br>(तीस हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, कृषि व्यवसाय में कामगार मजदूर |
| 5        | स्व० जयदेव मांझी, श्री भुखन मांझी, अनु० जन जाति  | श्रीमती अनार देवी (पत्नी)     | 335/14.09.2018                            | ग्रा०+पो०-गेरूआ पुरसंडा, था०-हलसी, लखीसराय                                | 33134222<br>756            | SBI, Halsi, SBIN0004574                | ₹ 30000/-<br>(तीस हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, कृषि व्यवसाय में कामगार मजदूर |
| 6        | स्व० गौतम मांझी, श्री जगदेव मांझी, अनु० जन जाति  | श्रीमती पारवती देवी (पत्नी)   | 336/14.09.2018                            | ग्रा०+पो०-गेरूआ पुरसंडा, था०-हलसी, लखीसराय                                | 31130110<br>084525         | BGB HALSI, UCBAORRBBKG                 | ₹ 30000/-<br>(तीस हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, कृषि व्यवसाय में कामगार मजदूर |

कुल :- ₹ 250000/-

(दो लाख पचास हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत अनुदान राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 5 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-15/2018 के पृष्ठ-17/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)  
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-15/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

ह०/-

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

(डा० गणेश कुमार झा)

(गोपाल मीणा)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

मुख्य वित्त पदाधिकारी


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-15/2018-५६९

पटना, दिनांक :- ०५-१०-१८

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 250000/- (दो लाख पचास हजार रूपए रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, लखीसराय के उनके पत्रांक 337 दिनांक 19.09.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, लखीसराय को उनके ज्ञापांक 313 दिनांक 5.9.18, 331, 332, 333, 335, 336 दिनांक 14.9.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।




(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी



(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।